

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री हेताराम चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 09/2019

अनवान

- 1 मांगीलाल पिता भूरा माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 2 जेदुराम पिता भूरा माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. सुरेश पिता शंकर माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. शंकर पिता प्यारचन्द माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. बंशी पिता छोगा माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. चौथु पिता मांगीलाल माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. गोपाल पिता कजोड माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
6. कैलाश पिता बालु माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
7. प्रभु पिता घीसा माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
8. कालु पिता रामचन्द्र माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
9. राजु पिता बद्रीलाल माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा- डिलीट
10. शम्भु लाल पिता मांगीलाल माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
11. जगदीश पिता नन्दा माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
12. रामपाल पिता नन्दा माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
13. लादु पिता सराम माली उम्र वयस्क निवासी बंगला का खेडा, बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
14. देबीलाल पिता बालु माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा- डिलीट
15. काशु पिता बालु माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
16. भैरु पिता गंगाराम माली उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री कृष्ण कुमार जीनगर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत कराये जाने पत्थरगद्दी आराजीयात।

:: निर्णय ::

दिनांक – 07.02.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 01.01.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 1120 के आ0न0 1832, 1833, 2217, 3647, 3655, 3657, 5689/2921 किता 07 कुल रकबा 06-09 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.01.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.02.2019 को विपक्षी क्रम 09, 14 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 09, 14 की लौटकर प्राप्त अदम तामील रिपोर्ट पर उक्त विपक्षीगण का कही अन्यत्र स्थान पर निवास करना अंकित आया, इस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी क्रम 09, 14 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 09, 14 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 1120 के आ0न0 1832, 1833, 2217, 3647, 3655, 3657, 5689/2921 किता 07 कुल रकबा 06-09 बीघा भूमि की पत्थरगद्दी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 700/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगद्दी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगद्दी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगद्दी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगद्दी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगद्दी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा-फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा